पुलिस पर अकर्मण्यता के गंभीर आरोप से फूटा ग्रामीणों का आक्रोश

एफआरवी वाहन और पुलिस कर्मियों पर पथराव-झूमाझटकी, एसडीओपी कार्यालय का घेराव, 3 दिन बाद बोरी में बंद मिला गुमशुदा युवक का शव

नवभारत न्यूज

सतना 4 अगस्त. तीन दिन पहले युवक का अचानक गायब हो जाना, उसका मोबाइल लगातार बंद बताना, युवक के साथ आखिरी बार देखे गए संदिग्ध के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया जाना और इन सभी घटनाक्रमों के सामने होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा हीला हवाली करते रहना, यहां तक तो हालात सामान्य बने रहे. लेकिन मंगलवार की सुबह लापता युवक की बोरी में बंद लाश मिलने की घटना ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया.

नतीजतन पुलिस पर अकर्मण्यता का गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने एफआरवी वाहन पर पथराव, पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी, एसडीओपी कार्यालय का घेराव करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के जसो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-पोस्ट अमकुई निवासी 20 वर्षीय युवक अतुल कुशवाहा पिता रामकेश 1 अगस्त की रात लगभग सवा 9 बजे से अचानक लापता हो गया था. चिंतित परिजनों द्वारा लगातार उसके फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया. लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता रहा. जिसे देखते हुए परिजनों ने आस पड़ोस, मित्रों, रिश्तेदारों से लेकर सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरु की, लेकिन अतुल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. अलबत्ता परिजनों के सामने इस बात की जानकारी जरुर सामने आई कि अतुल को आखिरी बार एक संदेही युवक के साथ देखा गया था. लिहाजा किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने थाने में फरियाद की. परिजनों का कहना है कि पहले तो पुलिस कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी. कुछ पुलिस कर्मियों ने अगले दिन आने की बात कहकर उन्हें चलता करने का प्रयास भी किया. इसी दौरान परिजनों द्वारा संदिग्ध युवक के बारे में भी पुलिस को बताया. लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. परिजनों के अनुसार अतुल के लापता होने के बाद जैसे-जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उनकी चिंताएं और बढ़ती गईं. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने न तो अपने स्तर से गुमशुदा अतुल का पता लगाने का कोई प्रयास किया और न ही संदेही से कड़ाई से पूछताछ की. बल्कि संदेही से औपचारिक जानकारी उसे लेकर जाने दिया गया. पुलिस की इस कार्यशैली को देखने, सुनने और समझने के अलावा परिजनों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था. लिहाजा वे अतुल के सकुशल वापस लौट आने की प्रार्थना इश्वर से करते रहे.

एफआरवी पर पथराव

घटना से आक्रोशित लोगों ने अतुल की मौत के पीछे की वजह पुलिस की अकर्मण्यता बताते हुए एफआरवी वाहन पर पथराव शुरु कर दिया. जिसके चलते कुछ पुलिस कर्मियों ने किसी तरह स्वयं को बचाया. वहीं परिवार सहित अन्य महिलाओं ने रोते-बिलखते हुए एफआरवी वाहन को घेरने के साथ ही पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी शुरु कर दी. मौके पर पहुंचे नागौद थाना प्रभारी मनोज सोनी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया. लेकिन लोगों के भड़के आक्रोश के सामने यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ. इस दौरान एफआरवी में सवार संदेही युवक ने भागने का प्रयास भी किया. लेकिन भनक लगते ही पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया.

बोरी में बंद मिला शव

मंगलवार की सुबह अमकुई गांव के रास्ते में विद्यालय के पीछे वाले रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में बोरी पड़ी देखा. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खुलवाया तो उसमें अतुल का शव मिला. यह जानकारी आग की तरह समूचे क्षेत्र में फैल गई. देखते ही देखते परिजनों सहित आस पास के गांव के रहवासी एकत्र हो गए. बेटे का शव देख मां यह कहकर बिलखने लगी कि यदि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो उनका बेटा आज जिंदा होता. बेटे के शव के सामने मां के इस करुण क्रंदन ने लोगों को झकझोर दिया.

बैंक से निकाले थे 3 लाख

इस संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके अनुसार किसी लड़की को लेकर मृतक अतुल और प्रमुख संदेही युवक के साथ झगड़ा हुआ था. इसी कड़ी में यह भी सामने आया कि मृतक अतुल द्वारा 1 अगस्त को इंडियन बैंक से 3 लाख रु निकाले गए थे. जिसमें से 2 लाख उसने घर में रखे और 1 लाख दुकान में. मृतक अतुल जसो क्षेत्र में मोबाइल की दुकान संचालित करता था. जिस रात वह गायब हुआ उसी रात वह प्रमुख संदेही युवक के साथ बाइक पर बैठकर गया था. और दोनों ने साथ बैठकर शराबखोरी की थी.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी नागौद रघु केसरी ने मौके पर पहुंचने के साथ ही जसो के साथ-साथ नागौद और उचेहरा थाने का पुलिस बल भी बुला लिया. वज्र वाहन समेत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चत करने के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेम लाल कुर्वे भी मौके पर पहुंच गए. लेकिन लोगों का आक्रोश इस कदर उमड़ रहा था कि पुलिस कर्मियों पर भी पथरबाजी कर दी गई. इसी कड़ी में एसडीओपी कार्यालय के घेराव करते हुए पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की गई. लगभग 5 घंटे तक जारी रहे भीषण गतिरोध के बाद लोगों का गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर सहमति बन पाई.

रिटायर्ड आईपीएस सिकरवार से वसूली पर कैट की रोक

केन्द्र सरकार, मप्र शासन व एसपी से जवाब तलब

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अगस्त. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट से रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार को बड़ी राहत मिली है। कैट ने उनके विरुद्ध निकाली गई वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार सहित एसपी रीवा से जवाब तलब किया है।

यह मामला रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे, सुश्री सोनाली पांडे एवं प्रथमेश पगारे ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि आईपीएस डॉ महेंद्र सिंह सिकरवार 2024 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजी) रीवा के पद से सेवानिवृत्त हुए उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक (एसपी) रीवा के द्वारा 11,61,885 रुपए की वसूली निकाली गई एवं आदेशित किया गया कि यदि वे उक्त राशि को जमा नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और वसूली हेतु पेंशन से राशि काट ली जायेगी। आवेदक की ओर से कहा गया कि उक्त राशि वर्ष 2012 से उनके वेतन निर्धारण के संबंध में दी गई थी, जबकि उनसे कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिनका वेतन निर्धारण श्री सिकरवार के वेतन निर्धारण के अनुकूल नहीं था एवं उन्हें अधिक वेतन प्रदाय किया जा रहा था। जिस पर आवेदक ने नियोक्ता को अभ्यावेदन देकर यह मांग की गई थी कि उनका वेतन निर्धारण संतुल्य किया जाए जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012 से उनका वेतन निर्धारण किया गया था एवं पूर्व की प्रदाय की जाने वाली राशि का एरियर्स भी प्रदान किया गया था।

अधिकारों को लेकर नई बहस

आवेदक की ओर से दलील दी गई कि आवेदक आईजी रीवा के पद से सेवानिवृत्त होते हुए एक आईपीएस अधिकारी थे जिनके नियोक्ता भारत सरकार, गृह विभाग एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है न कि मध्य प्रदेश शासन या पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधिकारों से आगे बढ़ते हुए उक्त आदेश जारी किया गया, जो कि कानून के विरुद्ध है। सुनवाई पश्चात् कैट ने आवेदक के विरुद्ध की जा रही वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए भारत सरकार, एसपी रीवा व मप्र शासन से जवाब तलब किया है।

बिना अधिग्रहण खनन पर सासन पावर को बड़ा झटका

निजी भूमि के बदले 60 .80 लाख प्रतिकर देने के आदेश, कलेक्टर न्यायालय ने भू-स्वामियों के पक्ष में सुनाया फैसला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अगस्त। बिना विधिवत भूमि अधिग्रहण किए निजी भूमि पर खनन करना सासन पावर लिमिटेड को महंगा पड़ गया।

कलेक्टर गौरव बैनल की न्यायालय ने उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर के निर्देशों के अनुपालन में पारित आदेश में कंपनी को प्रभावित भू-स्वामियों को 60 लाख 80 हजार रुपये प्रतिकर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2025-26 में पारित किया गया। प्रकरण के अनुसार ग्राम सहुआर निवासी दिनेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं त्रयम्बकेश कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम मुहेर, तहसील सिंगरौली नगर स्थित उनकी स्वामित्वाधीन भूमि खसरा क्रमांक 216/3/5 एवं 216/3/6, कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर पर सासन पावर लिमिटेड द्वारा बिना किसी वैधानिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कब्जा कर

खनन कार्य किया गया, जिससे उनकी भूमि क्षतिग्रस्त हो गई।

सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली की जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकों के नाम दर्ज है तथा कंपनी द्वारा भूमि का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया था। इतना ही नहीं भूमि उपयोग के बावजूद प्रभावित भू-स्वामियों को किसी प्रकार का मुआवजा अथवा प्रतिफल भी नहीं दिया गया। उप पंजीयक सिंगरौली की मूल्यांकन रिपोर्ट में 400 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 15 लाख 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया।

60 दिन में क्षतिपूर्ति भुगतान करने के निर्देश

जानकारी के अनुसार कलेक्टर न्यायालय ने भूमि अर्जन के प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर बाजार मूल्य का चार गुना प्रतिकर निर्धारित करते हुए कुल 60 लाख 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आदेश पारित किया। कलेक्टर न्यायालय ने भू-स्वामियों का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सासन पावर लिमिटेड को निर्देशित किया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्रतिकर राशि संबंधित भू-स्वामियों को भुगतान करना सुनिश्चित करे। यह आदेश बिना अधिग्रहण निजी भूमि के उपयोग से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शराब के नशे में बीच सड़क पर लेटा युवक, मचा बवाल

अस्पताल चौराहे पर लगा जाम, राहगीरों की आवाजाही हुई प्रभावित

नवभारत न्यूज

सीधी, 4 अगस्त. जिला मुख्यालय सीधी के अस्पताल चौराहा क्षेत्र में सुबह उस समय अफरा- तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक कथित रूप से शराब के नशे की हालत में बीच सड़क पर लेट गया।

घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक सड? के बीचों-बीच पड़ा दिखाई दे रहा है जबकि उसके आसपास वाहन सावधानी से निकलते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक की इस हरकत से कुछ समय के लिए

यातायात प्रभावित हुआ और सड? पर जाम जैसे हालात बन गए। राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं जिससे आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कुछ लोगों ने इसे नशे के बढ़ते प्रचलन से जोड़ते हुए नशा मुक्ति अभियान के प्रभाव पर भी सवाल उठाए।

इनका कहना है

घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने संबंधित व्यक्ति को सड? से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अत्यधिक नशे में होने के कारण युवक अपना नाम और पता बताने की स्थिति में नहीं था।

मसूद अजहर
सीएमओ नगर पालिका सीधी

नहर में डूबने से युवक की मौत

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अगस्त, रीवा के समान थाना क्षेत्र स्थित नहर में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बरामद कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की गई.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को समान थाना पुलिस को नहर में एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन निरीक्षक विकास कुमार पांडेय के नेतृत्व में एसडीआरएफ की छह सदस्यीय टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. टीम ने नहर में सघन सर्चिंग अभियान चलाया और कुछ ही समय में युवक का शव बरामद कर लिया, घटना सोमवार शाम हुई थी. मृतक की पहचान कौशलेंद्र उपाध्याय (30) पिता इंद्रावली उपाध्याय, निवासी ग्राम रतहरी के रूप में हुई है.

शव को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के अनुसार कौशलेंद्र नहर किनारे बैठकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में गिर गया. उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह पानी से बाहर नहीं निकल पाया.

अनाधिकृत हूटर-फ्लैश लाइट पर पुलिस का शिकंजा

94 वाहन चालकों पर हुई चालानी कार्रवाई

ब्लैक फिल्म और वीआईपी स्टीकर हटवाएं

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अगस्त। जिले में यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 से 10 अगस्त तक चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट, लाल-पीली-नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म, सरकारी एवं वीआईपी स्टीकर लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक शियाज केएम के निर्देशन में यातायात प्रभारी सूबेदार आशीष तिवारी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 39 निजी वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर, फ्लैश लाइट, ब्लैक फिल्म, सरकारी स्टीकर, पदनाम और अन्य प्रतिबंधित सामग्री को मौके पर ही हटवाया गया। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, वाहन संबंधी दस्तावेज अधूरे होने, अव्यवस्थित पार्किंग तथा क्षमता से अधिक सवारी बैठाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर 55 अन्य वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस प्रकार अभियान में कुल 94 वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि निजी वाहनों पर सरकारी पहचान, विशेषाधिकार दर्शाने वाले चिन्ह अथवा अनाधिकृत उपकरणों का उपयोग कानूनन अपराध है। पुलिस ने वाहन चालकों से स्वयं ऐसे उपकरण हटाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हेमलता सतना व दीपा को मैहर महिला कांग्रेस की कमान

सतना, 4 अगस्त. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बोरासी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की सहमति से प्रदेश स्तर पर महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की सूची जारी की है. इस सूची में सतना जिला ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में हेमलता सिंह को नियुक्त किया गया है. वर्तमान अध्यक्ष का दायित्व गीता सिंह पगार प्रदेश पदाधिकारी होने के बाद भी सभाल रही है. इसी सूची में नवगठित मैहर जिले के लिए दीपा मिश्रा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.इनकी नियुक्त पर जिला कांग्रेस ने प्रसन्नता व्यक्त किया है.

सतना की वैष्णवी को जापान की प्रतिष्ठित मेक्स्ट छात्रवृत्ति

नवभारत न्यूज

सतना, 4 अगस्त. शहर के बृजनंदन मिश्रा एवं श्रीमती ममता मिश्रा की पुत्री वैष्णवी मिश्रा ने जापान सरकार की प्रतिष्ठित मेक्स्ट छात्रवृत्ति 2027 के लिए दूतावास स्तर की कठिन चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

नई दिल्ली स्थित जापान दूतावास ने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उन्हें शोध (पीएच.डी.) श्रेणी में जापान के शिक्षा मंत्रालय के लिए नामांकित किया है। इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति हेतु इस वर्ष पूरे भारत से 7,303 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से पीएच.डी. (शोध) श्रेणी में चयनित होने वाले अभ्यर्थी कुल आवेदकों का लगभग 0.06 प्रतिशत ही रहे। इस अत्यंत कठिन प्रक्रिया को उत्तीर्ण कर वैष्णवी ने विशेष उपलब्धि अर्जित की है। पूर्णत: वित्त-पोषित इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत वैष्णवी को प्रतिमाह लगभग 1,45,000 का निर्वाह भत्ता एवं अतिरिक्त भत्ता, संपूर्ण ट्यूशन शुल्क, हवाई किराया एवं नि:शुल्क जापानी भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वैष्णवी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज एवं पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग से 80त्न अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। वर्तमान में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एल एस ई) की भी छात्रा हैं तथा जापानी भाषा में प्रशिक्षित हैं (एन 3ङ्कएन 2 स्तर के

पाठ्यक्रम में अध्ययनरत)। उनके तीन शोध-पत्र एवं एक समाचार-पत्र लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, बेलग्रेड (सर्बिया) एवं इकोल पॉलिटेक्निक फ्रांस में शोध अध्येता के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने जापान के होक्काइडो विश्वविद्यालय में शोध-अध्ययन किया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय एवं होक्काइडो विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से वित्त-पोषित रहा।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अगस्त। जियावन थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर आरोपी सूर्यांश उर्फ सूरज चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खड़ौरा थाना जियावन को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जिला जेल पचौर भेज दिया।

मामले में पुलिस ने बीएनएस, पॉक्सो अधिनियम तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 21 जून को परिजनों की शिकायत पर जियावन थाने में नाबालिग के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार पतासाजी के आधार पर पीड़िता को सकुशल दस्तयाब किया। जांच में सामने आया कि आरोपी सूर्यांश उर्फ सूरज चतुर्वेदी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 2 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पचौर भेज दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़िता की सकुशल बरामदगी में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद मर्सकोले, उनि शेषनारायण दुबे, लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, आर प्रभात दुबे, महिला आर जया दुबे सहित जियावन थाना पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

चोरी के 8 सिलेंडर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अगस्त। बरगवां थाना पुलिस ने गैस गोदाम से गैस सिलेंडर चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 8 भरे हुए गैस सिलेंडर तथा वारदात में प्रयुक्त काले रंग की अल्टो कार वाहन क्रमांक यूपी 64 एल 8805 जप्त की है। बरामद गैस सिलेंडरों की कीमत करीब 28 हजार रुपये तथा कार की कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है।

जानकारी अनुसार 30 जुलाई को फरियादी विनोद कुमार

द्विवेदी निवासी ग्राम पचौर ने बरगवां थाना में तहरीर दर्ज कराई थी कि ग्राम पचौर स्थित एफडी इंडेन गैस गोदाम से 29 जुलाई की रात अज्ञात चोर बाउंड्री फांदकर अंदर घुसे और गोदाम का ताला तोड़कर 10 भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित की तहरीर पर निरीक्षक अनील पटेल ने अज्ञात आरोपियों पर अपराध धारा 305(ए) एवं 331(4)बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विशेष पुलिस टीम गठित कर विवेचना शुरू की। पुलिस टीम ने संदिग्धों से पूछतांछ, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक पनिका पिता मेहीलाल पनिका उम्र 20 वर्ष निवासी ओड़गड़ी, मोहित गुप्ता पिता स्व. कपूरचंद्र गुप्ता उम्र 34 वर्ष निवासी बड़ोखर एवं एक 17 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से चोरी के 8 भरे गैस सिलेंडर और वारदात में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद कर ली।

पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं किशोर आरोपी के संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, सउनि वीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रआर शिवराज सिंह, आर अरविन्द यादव तथा महेश पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99